रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 106] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 19, 2010/चैत्र 29, 1932
No. 106] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 19, 2010/CHAITRA 29, 1932

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2010

सं. भा.आ.प.-31(1)/2010-मेडि./4155.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, "स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 1997" में पुन: संशोधन करने हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामत: :—

1. (i) इन विनियमों को "स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमावली (संशोधन), 2010" कहा जाए ।

(ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. "स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 1997" में निम्नलिखित परिवर्धन/संशोधन/विलोप/प्रतिस्थापन दर्शाए जाएंगे :—

3. "प्रशिक्षण अवधि और समय का वितरण" शीर्षक के अंतर्गत अध्याय-II, खण्ड 7 में, उप-खण्ड (7) को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"7(7) पहली व्यावसायिक एम.बी.बी.एस. परीक्षा के लिए अनुपूरक परीक्षा 6 महीने के अन्दर आयोजित की जा सकती है ताकि जो छात्र उत्तीर्ण होते हैं, वे मुख्य बैच में शामिल हो सकें और अनुत्तीर्ण छात्रों को अगले वर्ष परीक्षा में बैठना होगा बशर्ते कि जो छात्र अनुपूरक परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं, उन्हें दूसरी व्यावसायिक एम.बी.बी.एस. परीक्षा के लिए तीन सत्रों (अर्थात् 18 महीने) के अध्ययन का पूरा पाठ्यक्रम पूर्ण कर लेने के पश्चात् ही दूसरी व्यावसायिक एम.बी.बी.एस. परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की जाएगी, चाहे मुख्य बैच की परीक्षा कभी भी हो ।"

ले. कर्नल (से.नि.) डा. ए.आर.एन. सीतलवाड, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./100/10]

पाद टिप्पण : प्रधान विनियमावली नामत: "स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 1997" भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 4 मार्च, 1997 की अधिसूचना के अंतर्गत भारत के राजपत्र के भाग III, धारा 4 में प्रकाशित की गई थी और इसे परिषद् की दिनांक 29-5-1999, 2-7-2002, 30-9-2003, 16-10-2003, 1-3-2004, 20-10-2008, 15-12-2008, 22-12-2008 और 25-3-2009 की अधिसूचना के अंतर्गत संशोधित किया गया ।

MEDICAL COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th April, 2010

No. MCI-31(1)/2010-Med./4155.—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous approval of the Central Government hereby makes the following regulations to further amend the "Regulations on Graduate Medical Education, 1997", namely :—

1. (i) These Regulations may be called the "Regulations on Graduate Medical Education (Amendment), 2010."

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Regulations on Graduate Medical Education, 1997, the following additions/modifications/deletions/ substitutions, shall be as indicated therein :—

3. In Chapter II, Clause 7 under the heading "Training Period and Time Distribution", sub-clause (7) shall be substituted as under :

"7(7) The supplementary examination for 1st Professional MBBS examination may be conducted within 6 months so that the students who pass can join the main batch and the failed students will have to appear in the subsequent year provided that the students who pass the supplementary examination shall be allowed to appear in the second professional MBBS examination only after he/she completes the full course of study of three semesters (i.e. 18 months) for the second professional MBBS examination irrespective of the examination of the main batch."

Lt. Col. (Retd.) Dr. A. R. N. SETALVAD, Secy.

[ADVT. III/4/Exty./100/10]

Foot Note : The Principal Regulations namely, "Regulations on Graduate Medical Education, 1997" were published in Part III, Section 4 of the Gazette of India *vide* Medical Council of India Notification dated the 4th March, 1997 and amended *vide* Council notification dated 29-5-1999, 2-7-2002, 30-9-2003, 16-10-2003, 1-3-2004, 20-10-2008, 15-12-2008, 22-12-2008 and 25-3-2009.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.